

फर्द अहकाम

मेकल बनाम २१२कार

नाम न्यायालय

केस संख्या 1/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
-------------	---------------------------	----------------------	----------

1/6/18

पत्रावली आज दिनांक को कैंप कोट <sup>डाहवाही</sup> पेश की  
 अन्य पक्षों में सहमति नहीं होने के कारण इस लिए पत्रावली  
 न्यायालय में दिनांक 17/01/18 को पेश की

श्री विवेक शर्मा  
 जज न्यायालय  
 राजस्थान लोक अदालत का  
 न्याय आगमने

धुमरचय!

पार्सी के निवेदन पर पत्रावली  
 का पुनः कियतेपन किया  
 वही लदार लखारामर की  
 रिपोर्ट पर गण किया। गण  
 करने के उपरान्त मुलाधिक  
 वही लदार लखारामर की  
 रिपोर्ट के अनुसार इतर किया  
 जाना उचित साबित है

अतः पार्सी पत्र कानून  
 धारा 131, 132, तथा 133 के  
 अन्तर्गत किया जा रहा है  
 तथा मुलाधिक वही लदार  
 लखारामर की रिपोर्ट के  
 अनुसार इतर करने के  
 कोर्ट के दिशे लगे है  
 पदाग्रहण राज्याड रिपोर्ट के  
 अन्तर्गत किया जाके

पत्रावली केवल शुभ  
 होकर गुजर के कर रहे।  
 जाड प्रति न्यायालय

an